फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (पाली) जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– दरियाव कंवर वगैरह

बनाम

अप्रार्थी :– फौजसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा–राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं 151 सी.पी.सी.

मु.नं. 39 /सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19/08/2021	वकील प्रार्थीगण/वादीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत इस आशय का पेश किया है। राजस्व प्रा.पत्र आदेश 09 नियम 04 एवं धारा 151 सी.पी.सी. अन्दर म्याद पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सुनवाई बाबत् दिनांक 04.08.2021 को नियत थी। लेकिन वादी के अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब होकर बुखार आ जाने की वजह से वादी अधिवक्ता समय पर श्रीमान् के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा उनके स्थान पर जुनियर अधिवक्ता श्री डांवरराम को भिजवाया था। जिनकी उपस्थिति नहीं मानते हुये प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है तथा प्रकरण अभी प्रारम्भिक स्तर पर ही है। तथा उक्त वादपत्र घोषणा से सम्बन्धित है। जो आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थीगण/वादीगण के वाद–पत्र को पुनः रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है। इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज किया गया। बहस वकील प्रार्थी/वादी सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थीगण/वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि प्रकरण प्रतिवादीगण की तामीली में नियत होकर प्रारम्भिक स्तर पर विचाराधीन था। वादी अधिवक्ता द्वारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने के कारण को देखते हुए न्यायहित में हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। उक्त आदेश की पालना में मूल पत्रावली को पुनः नये नम्बर पर ली जाकर दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना–पत्र को मूल पत्रावली के साथ संलग्न/नत्थी किया जावे। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण	

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:32 IST
Reason: SelfAttested